संख्या:1/1644/35-1-2014-2/1(18)/2012

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)
योजना भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ :दिनांक 01 जनवरी,2015**

विषय: राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के शोध सहायक (अभि0) की वेतन विसंगति से संबंधित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को सन्दर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर संसूचित निर्णय संख्या- वे0आ0-2-774/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनॉक 22 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के शोध सहायक (अभियंत्रण) के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवं गे्ड वेतन रू0 4200/- के स्थान पर विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीक़त/संशोधित वेतन बैण्ड-2 एवं गे्ड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य किया जाता है।

2- उक्त उच्चीकरण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59 (एम)/2008, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार सेवा-नियमावली में संशोधन की कार्यवाही यथाशीघ्र पृथक से कर ली जायेगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे0आ0-1-956/दस-2014 दिनॉक 18-12-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या– 1/1644 (1)/35-1-2014 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 व 2
3- वित्त (व्यय नियंत्रण्) अनुभाग-5
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
5- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश वित्त विभाग सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in